न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(भरतपुर)

प्र0सं0, 186/2016,(जी.सी.एम.एस.नम्बर 2017/00173) व इजलास हेमन्त कुमार (R.A.S)

उनवान

1. सतीश
2. गम्भीर } पुत्रगण ओमप्रकाश
3. वत्ती पत्नी ओमप्रकाश

} जातियान ठाकुर नि0 बहज तहसील डीग(भरतपुर)राज0

—वादीगण

बनाम

1. चन्द्रपाल पुत्र वसन्त
2. महेन्द्रसिंह
3. सत्यभान } पुत्रगण रामजीलाल
4. ओमवती पत्नी रामजीलाल
5. श्याम पुत्र खैमी
6. एस.बी.आई. बैंक शाखा डीग

} जातियान ठाकुर नि0 बहज तहसील डीग(भरतपुर)

—प्रति0

दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राज0 टि0 एक्ट,

निर्णय दिनांक: 18.01.2023

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि नवीन आ.ख.नम्बर 8076/0.27, वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग में स्थित है। वादीगण का साविक आराजी खसरा नम्बर 6074 रकबा 1 वीघा 11 विस्वा का था जिस पर वादीगण के बुजुर्गान काविज रह कर निरन्तर काश्त करते रहे और उनके फौत हो जाने के वाद वादीगण नम्बर 1 व 2 के पिता व वादी नम्बर 3 के पति ओमप्रकाश काविज रहे और ओमप्रकाश की मृत्यु के वाद वादीगण 1 वीघा 11विस्वा पर काविज कर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी वादीगण 1वीघा 11 विस्वा पर काविज है। वादीगण की साविक आराजी के पास में साविक खसरा नम्बर 6082 रकबा 2वीघा 2 विस्वा का था जो रामस्वरूप पुत्र खचेरा का था और रामस्वरूप पुत्र खचेरा की मृत्यु के वाद उसके दो पुत्र विजय सिंह व रामजीलाल के नाम दर्ज हुआ और विजयसिंह द्वारा अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा

Scanned by AnyScanner

अपना निस्फ हिस्सा यानि 1 वीघा 1 विस्वा दिनांक 25.05.1984 प्रति0 नम्बर 1 चन्द्रपाल को विक्रय कर दिया चन्द्रपाल मौके पर 1वीघा 1विस्वा पर काविज है और शेष 1वीघा 1विस्वा प्रति0 नम्बर 2 लगायत 4 के हिस्से की है। वादीगण का साविक आराजी खसरा नम्बर 6074 रकबा 1 वीघा 11 विस्वा को हाज नम्बर 8077/0.16 में बदला गया है। वादीगण के साविक रकबा 1वीघा 11विस्वा की नई पैमाईश 25 ऐयर होती है जो अब मात्र 16 ऐयर आई है जो साविक के मुकावले 9ऐयर रकबा कम दर्ज किया गया है। वादीगण की साविक खसरा नम्बर 6074 रकबा 1वीघा 11विस्वा के पास में प्रति0का साविक खसरा नम्बर 6082 रकबा 2वीघा 2विस्वा का जिसे दौराने सैटिलमेंट हाल खसरा नम्बर 8076/0.27 व 8116/0.16,में बदला गया है प्रति0 की साविक पैमाईश 2वीघा 2 विस्वा की नई पैमाईश 33 ऐयर होती है। सैटिलमेंट विभाग ने गलत रूप से 43 ऐयर दर्ज करदी गई है। जबकि मौके पर आज भी वादीगण साविक रकबा 1वीघा 11 विस्वा पर काविज है और प्रति0 का साविक रकबा 2वीघा 2 विस्वा पर काविज है। उक्त गलत इन्द्राज के कारण प्रति0 नम्बर 2लगायत 4 द्वारा आराजी मुत0 को झगडे में डालने के उद्वेश्य से विना किसी अधिकार के वादीगण को नुकसान पहुँचाने के उद्वेश्य से बिना प्रतिफल के मात्र कागजी तौर पर एक विनिमय पत्र प्रति0 नम्बर 2 लगायत 4 द्वारा प्रति0नम्बर 5 श्यामसिंह के हक में दिनांक 01.07.2015को करादी गई है जोकि खिलाफ मौका व कानून है। आराजी खसरा नम्बर 8076/0.27,पर वादीगण शांतिपूर्वक काविज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी काविज है। वादीगण विनिमय पत्र दिनांक 01.07.2015को प्रति0नम्बर 2लगायत 4 व प्रति0 नम्बर 5 द्वारा एक दूसरे के हक में कराया गया है वह व मुकावले वादीगण प्रभावहीन व शून्य है।

अतः निवेदन है कि आ0 ख0 नम्बर 8076/0.27, वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग में हिस्सा 9/27 के वादीगण खातेदार काश्तकर है जो इन्द्राज बनाम प्रति0 राजस्व रिकार्ड में हो रहा है को कलमजन किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 8076/0.27, में से 9 ऐयर का खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे तथा विनिमय पत्र दिनांक 01.07.2015 को प्रति0 नम्बर 2 लगायत 4 व प्रति0 नम्बर 5 द्वारा एक दूसरे के हक में कराया गया है वह व मुकावले वादीगण प्रभावहीन व शून्य है। प्रति0 को पावंद फरमाया जावे कि वह आराजी खसरा नम्बर 8076/0.27, वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग के हिस्सा 9/27 पर कब्जा नाजायज नहीं कर वादीगण को बेदखल नहीं करें, आराजी को रहन वय मुन्तकिन नहीं करें, रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

Scanned by
AnyScanner

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.11.2016 को को प्रति0 संख्या 02, 03 व 04 की ओर से श्री अशोक महोलिया एड0 उपस्थित। प्रति0 सं0 01 व 05 वावजूद सूचना/तामील के उपस्थित अदालत नहीं आने पर दिनांक 17.03.2017 को इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति0 सं0 02,03,04,06 को कई अवसर दिये जाने के उपरांत जबाव दावा पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 30.10.2017 को जवाव दावा बन्द किया गया।

वादीगण के द्वारा अपने दावे के समर्थन में अपने एवं स्वतंत्र गवाह भूरा पुत्र जोगेन्द्र,गम्भीर पुत्र ओमप्रकाश नि0 बहज के बयान दर्ज कराये गये तथा राजस्व रिकार्ड में नकल जमाबन्दी हाल सम्बत 2068—2071 प्रदर्श—1,2, नकल भू—प्रबंध विभाग का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श—3,4, नकल जमाबन्दी खेवट खतौनी प्रदर्श—5,6, नकल विनिमय पत्र प्रदर्श—7, तथा नकल नक्सा साविक,हाल जमाबन्दी सम्बत 2076—2079 प्रस्तुत किये गये। साथ ही वकील वादीगण ने कानूनी द्वष्टांत में आर. आर.डी. 1983 पेज नम्बर 365, आर.आर.डी. 1995 पेज नम्बर 533, पेश किये गये।

प्रति0 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। प्रति0 के विरूद्व पूर्व में ही दिनांक 17,03.2017 व 30.10.2017 को एक पक्षीय/जबाव दावा बन्द किये जाने की कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है, ऐसी स्थिति में **वादीगण के विद्वान वकील श्री मुकेश कुमार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।** वकील वादीगण ने बहस के दौरान दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि दौराने सैटिलमेंट विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 8076/0.27, व 8116/0.16 में बदला गया है तथा प्रति0 की साविक पैमाईश 02 वीघा 02 विस्वा की पैमाईश 33 ऐयर होती है इस प्रकार सैटिलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से 43 ऐयर दर्ज करदी गई है। चूँकि रकबा को कम व अधिक किये जाने का भू—प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं है, ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा उपलब्ध राजस्व रिकार्ड तथा कानूनी द्वष्टांतों के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया एवं वकील वादीगण के द्वारा पेश की गई बहस पर मनन किया। सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड के अध्ययन/मिलान किया गया। दौराने सैटिलमेंट विभाग द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर 8076/0.27, व 8116/0.16 में बदला गया है तथा प्रति0 की साविक पैमाईश 02 वीघा 02 विस्वा की पैमाईश 33 ऐयर होती है इस

Scanned by AnyScanner

प्रकार सैटिलमेंट विभाग द्वारा 43 ऐयर दर्ज करदी गई है। भू–प्रबंध विभाग के स्तर से त्रुटि होना प्रतीत है। आराजी खसरा नम्बर 8076/0.27, वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग के हिस्सा 09/27 पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व प्रति संख्या 01 व 05 का वाहिस्सा बराबर कलमजन किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व प्रस्तुत कानूनी द्रष्टांतों के आधार पर हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :—

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर **स्वीकार** किया जाता है। आ.ख.नम्बर 8076/0.27, वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग के हिस्सा 09/27 पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रति0 संख्या 01 व 05 का वाहिस्सा बराबर कलमजन किये जाने तथा विनिमय पत्र दिनांक 01.07.2015 को प्रति0 नम्बर 02 लगायत 04 व प्रति0 05 द्वारा कराया गया है को वादीगण के हक तक प्रभावहीन व शून्य घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)

Scanned by
AnyScanner